न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 101 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मदनलाल पुत्र स्व0 श्री अचलाराम उम्र 57 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम गेलवास तहसील झंवर जिला जोधपुर 02.गणपतराम पुत्र स्व0 श्री अचलाराम उम्र 55 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम गेलवास तहसील झंवर जिला जोधपुर 03.भोपालराम पुत्र स्व0 श्री अचलाराम उम्र 52 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम गेलवास तहसील झंवर जिला जोधपुर 04.भगाराम पुत्र स्व0 श्री अचलाराम उम्र 45 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम गेलवास तहसील झंवर जिला जोधपुर		01.किशन सैन पुत्र श्री बशीलाल जाति नाई निवासी पुरानी पोल ग्राम सिणली तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.पिंकू पुत्री श्री बंशीलाल पत्नी श्री छगनलाल जाति नाई निवासी नया नाडा केरू तहसील व जिला जोधपुर 03.मीरा देवी पुत्री श्री बंशीलाल पत्नी श्री श्रवणराम जाति नाई निवासी शिव मंदिर के सामने काली बेरी सूरसागर जोधपुर 04.सायर पुत्री श्री बशीलाल पत्नी श्री गुणेशाराम जी जाति नाई निवासी नागाण बाडमेर 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता धनराज चौधरी उपस्थित।

02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा उपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 09/12/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष स्व0 सादुलराम जी नाई के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 209/78 रकबा 1.5751 हैक्टर खसरा नम्बर 211/208 रकबा 0.0437 हैक्टर व खसरा नम्बर 59 रकबा 36341 हैक्टर भूमि वाके ग्राम गेलावास पटवार हल्का लूणावास कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धवा तहसील झॅवर मे आई हुई है वक्त सेटलमेन्ठ उक्त भूमि केवल सादुलराम जी के पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज की गई तथा उनेक पश्चात उक्त भूमि पोकरराम जी के पुत्र श्री बशीलाल जी के नाम से खातेदारी मे अमल दरामद की गई वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि केवल मात्र सादुलराम जी के एक पुत्र पोकरराम जी के नाम से राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की गई थी तत्पश्चात श्री सादुलराम ने खसरा नम्बर 209/78 रकबा 1.5751 हैक्टर भूमि को प्रार्थीगण के पिता श्री अचलाराम को सुपुर्द की थी करीबन पिछले 60वर्षो से श्री अचलाराम व उनके पश्चात प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक के काबिज चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि को उपजाउ बनाने के लिये समस्त प्रकार के कार्य किये जा रहे है जिसमे श्री पोकरराम उनके पश्चात उनके पुत्र बंशीलाल व अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज नही था। प्रार्थीगण द्वारा कई बार अप्रार्थीगण को उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे शुद्वि करवाने का निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष मे शुद्वि करवाकर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद नही करवाया जा रहा है प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है तथा प्रार्थीगण अपने हक हिस्से का उपयोग उपयोग व प्रबन्धन करने का पूर्ण अधिकारीहै जिसमे अप्रार्थीगण को किसी तरह की दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थी सख्या 1 से 4 व इनके कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा प्रार्थी गण को बार बार धमकी दी जा रही है कि वह प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदखल कर देगे तथा कृषि भूमि का आगे बेचान कर देगे इसलिए प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गेलावास के भूमि खसरा नम्बर 209/78 रकबा 1.5751 हैक्टर खसरा नम्बर 211/208 रकबा 0.0437 हैक्टर व खसरा नम्बर 59 रकबा 36341 हैक्टर के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुना गया ।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गेलावास के भूमि खसरा नम्बर 209/78 रकबा 1.5751 हैक्टर खसरा नम्बर 211/208 रकबा 0.0437 हैक्टर व खसरा नम्बर 59 रकबा 36341 हैक्टर ग्राम गेलवास तहसील झवर मे आई हुई है जिसे भूमि पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे। तथा मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे अपनी बहस मे कथन किया गया कि वर्णित खसरान् की कृषि भूमियां पूर्व मे कभी भी स्व0 श्री सादुलराम जी नाई के नाम की नही रही है वर्णित खसरान् की कृषि भूमियां शुरू से ही पोकरराम जी के नाम से खातेदारी मे दर्ज रही है। पोकरराम के स्वर्गवास उपरान्त पिता बशीलाल के नाम से दर्ज हुई पोकरराम के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति विशेष को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए थे। उक्त मूल वाद एव यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया जबकि किसी भी रेकर्डेड खातेदार को बिना पक्षकार बनाये उसकी खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध मे न तो कोई वाद पेश किया जा सकता है एव न ही इस प्रकार से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये जा सकते है प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होगी और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है इस प्रकार प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार नही है इस कारण कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्राथीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गेलावास के भूमि खसरा नम्बर 209/78 रकबा 1.5751 हैक्टर खसरा नम्बर 211/208 रकबा 0.0437 हैक्टर व खसरा नम्बर 59 रकबा 36341 हैक्टर ग्राम गेलवास तहसील झवर के भूमि के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

(पुखराज [illegible]टिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी